

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in



सिक्किम विश्वविद्यालय SIKKIM UNIVERSITY

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

SU/2012/REG-03/SU/2129/879

Date: 6th February 2024

Notification - 08 /2024

The Executive Council in its 44th meeting held on 27th December 2023, on the recommendations of the Academic Council, approved adoption of the following Regulations by Sikkim University issued by different regulatory bodies:

1. National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standard of Undergraduate Sowa-Rigpa Education) Regulations 2022.
2. B.Pharm and M.Pharm Course Regulations, 2014 (and its subsequent amendments from time to time).
3. Indian Nursing Council {Revised Regulations and Curriculum for B.Sc. (Nursing) Program - Corrigendum}, Regulations, 2022 (and its subsequent amendments from time to time).

(Prof. Laxuman Sharma)
Registrar (I/C)

कुलसचिव (प्रभारी)
Registrar (In-Charge)
सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

Distribution:

1. PS to VC for kind information of the Vice-Chancellor
2. PS to Registrar
3. Finance Officer
4. Controller of Examinations
5. Librarian
6. Deans of Schools of Studies
7. Principals of all the Affiliated Colleges
8. Dean, Students' Welfare
9. Heads/In-charge(s) of all Departments
10. Joint Registrar (Academic)
11. System Analyst for necessary upload in the website
12. Office Copy
13. Guard file

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in



सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/2012/REG-03/SU/2129/879

दिनांक: 6 फरवरी 2024

अधिसूचना-08/2024

दिनांक 27 दिसंबर 2023 को आयोजित 44वीं बैठक में कार्यकारिणी परिषद ने शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न नियामक निकायों द्वारा जारी निम्नलिखित विनियमों को सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा अपनाएं जाने हेतु मंजूरी दी है :

1. राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली (स्नातक सोवा-रिग्पा शिक्षा का न्यूनतम मानक) आयोग विनियम 2022।
2. बी.फार्मा और एम.फार्मा पाठ्यक्रम विनियम, 2014 (और समय-समय पर इसके अनुवर्ती संशोधन)।
3. भारतीय नर्सिंग परिषद (बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम के लिए संशोधित विनियम और पाठ्यक्रम - शुद्धिपत्र, विनियम, 2022 (और समय-समय पर इसके अनुवर्ती संशोधन)।

वितरण :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी
4. परीक्षा नियंत्रक
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. अध्ययन विद्यापीठों के डीन
7. सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य
8. छात्र कल्याण डीन
9. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
10. संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक)
11. सिस्टम एनालिस्ट - वेबसाइट में आवश्यक अपलोड करने हेतु
12. कार्यालय प्रति
13. सुरक्षा फाइल


(प्रो. लक्ष्मण शर्मा)
कुलसचिव (प्रभारी)
कुलसचिव (प्रभारी)
Registrar (In-Charge)
सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY